06एए 387546

<u>आंध्र प्रदेश</u>

क्रम सं. 53849 दिनांक: 02.06.2005 ₹100/-

विक्रय किया गया: जी. एस. कुमार

पुत्र: के. वी. राव

किसके लिए: हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

[स्टाम्प]
के. रामा चंद्रावती
स्टाम्प विक्रेता (लाइसेंस सं.: 2/99, आर.एल. सं. 20/2005)
6-3-387, बंजारा दरबार होटल के समीप, पंजागुट्टा,
हैदराबाद – 500082
दूरभाष सं.: 23351709

<u>अंशधारक करार का अनुपूरक संख्या–1</u>

यह **अंशधारक करार का अनुपूरक संख्या–1** ("अनुपूरक संख्या–1") हैदराबाद में दिनांक **8 जून, 2005** को निम्नलिखित पक्षों के मध्य निष्पादित किया गया है:

क. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग परिवहन, सड़क एवं भवन (पत्तन) विभाग के माध्यम से करते हैं, जिनका कार्यालय जे–ब्लॉक, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद – 500022, भारत में स्थित है, तथा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए पत्र संख्या **सी. सं. 6786/पी1/2002**, दिनांक **29 सितम्बर, 2003** के माध्यम से विधिवत प्राधिकृत किया गया है (जिन्हें इसके पश्चात "**आंध्र प्रदेश सरकार**" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति का, जब तक कि संदर्भ या आशय के प्रतिकूल न हो, अर्थ होगा तथा इसमें उसके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं अनुमत समनुदेशित भी सम्मिलित होंगे);

ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994** के अधीन निगमित एक निकाय निगम है, जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003, भारत में स्थित है (जिसे इसके पश्चात "**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति का, जब तक कि संदर्भ या आशय के प्रतिकूल न हो, अर्थ होगा तथा इसमें उसके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं अनुमत समनुदेशित भी सम्मिलित होंगे)।

ग. जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत के हैदराबाद में निगमित कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 25/1, एसकेआईपी हाउस, म्यूज़ियम रोड, बेंगलुरु – 560025, भारत में स्थित है (जिसे इसके पश्चात "**जीएमआर**" कहा जाएगा, और इस

अभिव्यक्ति का, जब तक कि संदर्भ या आशय के प्रतिकूल न हो, अर्थ होगा तथा इसमें उसके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं अनुमत समनुदेशित भी सम्मिलित होंगे);

घ. मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स बरहाद, जो मलेशिया के विधियों के अधीन निगमित कंपनी है तथा जिसका प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस एमएबी, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ शाह हवाईअड्डा, 47200 सुबांग, सेलांगोर दारुल एहसान, मलेशिया में स्थित है (जिसे इसके पश्चात "**एमएएचबी**" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति का, जब तक कि संदर्भ या आशय के प्रतिकूल न हो, अर्थ होगा तथा इसमें उसके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं अनुमत समनुदेशित भी सम्मिलित होंगे); तथा

ङ. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो भारत के विधियों के अधीन निगमित कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-3-866/1/जी3, ग्रीनलैंड्स, बेगमपेट, हैदराबाद – 500016, भारत में स्थित है, जैसा कि अनुसूची–1 में दिए गए विवरणों में वर्णित है (जिसे इसके पश्चात "**एचआईएएल**" कहा जाएगा, और इस अभिव्यक्ति का, जब तक कि संदर्भ या आशय के प्रतिकूल न हो, अर्थ होगा तथा इसमें उसके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं अनुमत समनुदेशित भी सम्मिलित होंगे)।

जबकि:

क. आंध्र प्रदेश सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जीएमआर, एमएएचबी तथा एचआईएएल, हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक **30 सितम्बर, 2003** के अंशधारक करार ("अंशधारक करार") के पक्षकार हैं।

ख. पक्षकारों ने परस्पर सहमति से अंशधारक करार के खंड 2.3 (ख) में उल्लिखित प्रथम पूंजी अंशदान किए जाने की तिथि को **1 जनवरी, 2005** से बढ़ाकर **1 सितम्बर, 2005** करने का निर्णय लिया है तथा इस अनुपूरक संख्या–1 में उक्त विस्तार को लिखित रूप में अभिलिखित करना चाहते हैं।

अतः, पक्षकारों के पारस्परिक वचनों, जिनकी पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा अन्य विधिसम्मत एवं मूल्यवान प्रतिफल के विचारार्थ, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं–

1. आंध्र प्रदेश सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जीएमआर, एमएएचबी तथा एचआईएएल एतद्द्वारा सहमत हैं कि अंशधारक करार के खंड 2.3 (ख) में अंकित तिथि "**1 जनवरी, 2005**" को संशोधित कर "**1 सितम्बर, 2005**" पढ़ा जाएगा। तदनुसार, अंशधारक करार का खंड 2.3 (ख) निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा–

"(ख) पक्षकार सहमत हैं कि यदि निवेशकों द्वारा पूंजी अंशदान योजना के अनुसार प्रथम पूंजी अंशदान, खंड 2.2 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति (या उनके परित्याग) के पश्चात, 1 सितम्बर, 2005 तक (या परियोजना एवं उसकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के आधार पर निवेशकों के मध्य परस्पर सहमति से निर्धारित किसी अन्य तिथि तक) नहीं किया जाता है, तो खंड 2.1 के अधीन किए गए प्रारंभिक निवेशों के होते हुए भी, कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकारों को तीस (30) दिन का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकेगा, और यदि उक्त तीस (30) दिनों की अवधि के दौरान खंड 2.2 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, तो यह करार समाप्त हो जाएगा।"

2. इस अनुपूरक संख्या–1 में प्रयुक्त ऐसे सभी शब्द, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अंशधारक करार में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

3. अंशधारक करार के अन्य सभी नियम एवं शर्तें पक्षकारों पर पूर्ववत् बाध्यकारी रहेंगी। **खंड 16 (सूचनाएँ)**, **खंड 17 (लागू विधि)**, **खंड 18 (विविध)** तथा **खंड 19 (मध्यस्थता)** अंशधारक करार का इस **अनुपूरक संख्या–1** का अभिन्न भाग माना जाएगा और उसे संदर्भ द्वारा इसमें समाविष्ट समझा जाएगा।

4. इस **अनुपूरक संख्या–1** से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा मतभेद का निपटारा अंशधारक करार के **खंड 19** के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इस करार का निष्पादन ऊपर प्रथम लिखित दिनांक को किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित–

[हस्ताक्षर]
एन. पी. राम रेड्डी

साक्षी के हस्ताक्षर

[हस्ताक्षर]
बिनॉय कुमार